सं० ओ. वि./रोह०/39-87/13990.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० श्री राम सन्थेटिक्स फैब्रिक्स ए०आई०ई०, 329, बहादुरगढ़ (रोहतक) के श्रमिक श्री हरि चन्द, पुत्र श्री रामचरण मार्फत श्री पोलू राम पंवार, मकान नं० 322, वार्ड नं० 14, पुराना झज्झर रोड, बहरा कबाड़ी के सामने बहादुरगढ़ जि० रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1 श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री हरिचन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोह/39-87/13997.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० श्री राम सन्थेटिस फैब्रिक्स एम०आई०ई०, 329, बहादुरगढ़ (रोहतक) के श्रमिक श्री रमा शंकर, पुत्र श्री तूफानी प्रसाद मार्फत श्री पोलू राम पंवर मकान नं० 322 वार्ड नं० 14 पुराना झझर रोड, बहरा कबाड़ी के सामने बहादुरगढ़, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रमणशंकर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो, वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोह/39-87/14004.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० श्री राम सन्थेटिक्स फैब्रिक्स एम.आई.ई०, 329, बहादुरगढ़ (रोहतक) के श्रमिक श्री मुनेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री नाथून सिंह मार्फत श्री पोलू राम पंवार मकान न० 322, वार्ड 14, पुराना झझर रोड़, बहरा कबाड़ी के समाने बहादुरगढ़ जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मुनेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री नाथुन सिंह की सेवाओं का समापन न्योचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 8 अप्रैल, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/46-87/14464.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डो सर्विस टाईम लि०, कुण्डाहेड़ा गुड़गांव, के श्रमिक मिस शान्था कुमारी एल० मार्फत राव पृथ्वी सिंह यादव मकान नं० 514/4, अर्बन इस्टेट गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा